न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 117/2021 बउनवानी काशी सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर,स0मा0
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/319

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
1.2.2022	पत्रावली पेश हुयी। ...

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र को अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा प्रभारी अधिकारी सहायता/विकास/आरटीआई अनुभाग एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 4.10.2021 को रजिस्टर्ड डाक से द्वारा भिजवाये गये प्रार्थना पत्र की प्रति एवं प्रार्थना पत्र पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी दिलावे।
2. उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि में माननीय न्यायालय के स्टे के बाद सुखराम माली ने पीएम ओर सीएम आवास योजना मे मकान किसके कहने पर बनाये व सुखराम से पूछने बाबत निवेदन किया। जिसपर की गयी पूछताछ की सत्य जानकारी दिलावे।
3. विवादित कृषि भूमि में प्रकरण 150/13 गेर नियम से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बनाये मकानो को तुडवाने का आग्रह किया जिन्हे किस नियम से नही तुडवाया जा रहा है की जानकारी दिलावे।
4. श्रीमान का पत्रांक सहा/वि(3)/2021/5773 दिनांक 26.8.2021 द्वारा प्रदान निर्देश पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा भिजवायी गयी रिपोर्ट की सत्य जानकारी दिलावे।
5. श्रीमान जी का निर्देश क्रमांक/विकास/2021/4718 दिनांक 28.7.2021 पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परषिद सवाईमाधोपुर को पुनः लिखने की प्रार्थी को जानकारी दिलाई जावे। तथा उसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी दिलावे।
6. बिना हुक्म के कृषि भूमि मे एवं अन्य अतिक्रमणो को कई जगह तुडवा दिये फिर प्रार्थी की विवादित भूमि मे बिना अनुमति एवं माननीय न्यायालय के स्टे के बाद बने निर्माण को किस नियम अथवा कोई प्रभाव के चलते नही तुडवाये जा रहे है का कारण की सत्य जानकारी दिलावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीला[illegible] सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्[illegible]धोपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक एफ.1(110)/सूकाअ/2021/[illegible] 23.12[illegible] ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा बिन्दु संख्या 1 [illegible] चाही गयी सूचना (आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 8.9.2021 के संबंध मे होने के [illegible] अलग से कोई का[illegible] नही की गयी जिसके संबंध में कार्यालय पत्रांक 2045 दिनांक [illegible].11.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग के पत्रांक 7484 दिनांक 22.11.2021 से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि सहायता अनुभाग के पत्रांक 5773 दिनांक 26.8.2021 की अनुपालना में अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 6 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:02:13 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं स्पष्ट विषयवस्तु अंकित नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.11.2021 को जरिये डाक आपत्ति प्रेषित कर निवेदन किया कि बिन्दु संख्या 5 की सूचना के अतिरिक्त कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। इसलिए पूर्ण सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जावे।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में प्रार्थना पत्र दिनांक 4.10.2021 से संबंधित सूचना चाही गयी है उक्त प्रार्थना पत्र जो कि अपीलार्थी के पूर्व आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 8.9.2021 के बिन्दू संख्या 01 के संबंध मे है की सूचना के संबंध में अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर के पत्रांक 1599—1602 दिनांक 21.9.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि राजस्व ग्रुप—7 विभाग के पत्र की विषयवस्तु का उल्लेख नही किया है, पूर्ण उल्लेख अंकित करे। इसलिए उक्त बिन्दु की सूचना के लिए अलग से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नही है किन्तु फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 4.10.2021 पर कार्यवाही करते हुए पत्र क्रमांक 1816—17 दिनांक 14.10.2021 से उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को निर्देश दिये गये थे जिसकी पालना में उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 27.10.2021 को अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2021 की प्रमाणित प्रति भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक 2541 दिनांक 27.12.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 3 एवं 6 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत सूचना दिये जाने की बाध्यता नही है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग के पत्रांक 7484 दिनांक 22.11.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग के पत्रांक 6032 दिनांक 1.11.2021 से अपीलान्ट को अवगत कराया जा चुका है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पालना रिपोर्ट प्राप्त नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में सूचना/विनिश्चिय से संबंधित लोक सूचना अधिकारियो द्वारा अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:02:13 IST
Reason: SelfAttested